Matric No. 6.3.1 Service Rules cum Welfare Measures, Ph.D. Leave and Maternity Leave, Leave Record

कार्यालय : अध्यक्ष, कॅरियर सोसायटी भोपाल

आदेश क्रमांक :1966 / प्राचार्य

दिनांक :14.02.2022

// अधिसूचना//

महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापको / कर्मचारियो को प्रदत्त सुविधाएं अवकाश सुविधाः

1) स्थायी प्राध्यापको एंव कर्मचारियो को एक शैक्षणिक सत्र में 13 आकरिमक अवकाश (एक साथ 3 से अधिक नहीं) तथा 3 एच्छिक अवकाश की सुविधा दी जायेगी।

- 2) मातृत्व अवकाश 6 महीने तक सवैतनिक दिया जायेगा। यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों को दी जायेगी जिनकी सेवा अविध 3 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। एक वर्ष की
- सेवा अविध पूर्ण होने की स्थिति में केवल एक माह का सवैतिनिक अवकाश दिया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी तुरन्त मातृत्व अवकाश लेने के पश्चात् कॉलेज छोड़ता है तो उक्त अविध के वेतन का भुगतान कर्मचारी द्वारा संस्था को वापस किया जायेगा।
- 3) पितृत्व अवकाश 7 दिवस का सवैतनिक दिया जायेगा।
- 4) विवाह अवकाश फैकल्टी के स्वंय के विवाह पर 15 दिवस का संवैतनिक अवकाश दिया जा सकेगा।
- 5) मृत्यु अवकाश किसी भी फैकल्टी के पति / पत्नी / बच्चे की असामयिक मृत्यु होने पर 15 दिवस का सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा तथा ऐसी फैकल्टी के अभिभावक माता, पिता / सास, ससुर की मृत्यु होने पर 5 दिवस का सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
- 6) अकादिमक अवकाश फैकल्टी डेव्लपमेन्ट प्रोग्राम के तहत फैकल्टी के पी.एच.डी. के लिये दो किस्तों में एक माह का सवैतिनक अवकाश दिया जा सकेगा।
- 7) सेमीनार/सिम्पोजियम/वर्कशाप में सहभागिता करने पर एक/दो (यथास्थिति अनुसार) दिन का संवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। तथा ऐसे सेमीनार में भाग लेने पर पंजीकरण अथवा यात्रा भत्ता के किराये की सुविधा के रूप में अधिकतम 2500/- का भुगतान संस्थान द्वारा किया जायेगा। रिकिट दिना हो हो।
- उपरीक्षा अवकाश किसी भी फैकल्टी को बाहय परीक्षक / अतिथि व्याख्यान / रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित किये जाने पर (Invitation Letter) एक / दो दिवस का सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।



Ref.No: -RNTU/Commerce /Conf./Ph.D./2023/487

Dated: - 31" July 2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under section 17 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 and Rabindranath Tagore University ordinance no. 16, the Vice Chancellor on behalf of the Board of Management is pleased to declare that the following candidate has qualified for the award of Degree of Doctor of Philosophy in the subject and faculty mentioned against his name.

Name

: Rajneesh Tiwari

Enrolment no.

: AU172301

Viva Voce Date

: 24.06.2023

Research Centre

: Rabindranath Tagore University, Raisen (M.P.)

Subject and Faculty

: Commerce

Title

: कृषि क्षेत्र को पुनर्वित्त प्रदान करने में नाबार्ड के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन

(भोपाल संभाग के विशेष संदर्भ में)

THE THE STATE OF T

By Order

Rabindranath Tagore University

Raisen (M.P)

Copy to:

- Scholar Concerned: Mr. Rajneesh Tiwari, H. No. 3, Sundar Nagar (Behind Kalpana Nagar) by-Pass Road Bhopal 462022 (M.P.)
- 2. Guide Concerned: Dr. Basanti Mathew Merlin, Bhopal.
- 3. Co Guide Concerned: Dr. Vijay Singh, Bhopal.
- 4: Concerned Faculty of the University: Commerce
- 5. The Registrar, All statutory Indian Universities.
- 6. The Secretary, University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
- 7. The Principal Secretary, Association of Indian Universities, New Delhi.
- 8. The Secretary Govt. of M.P. Higher Education, Mantralaya, Vallabh Bhavan, Bhopal.
- 9. The editors of local News Papers, with a request to publish the above notification as a news items.
- 10. The Secretary, Indian Council for Social Service and Research, Indraprasth Estate, New Delhi.
- 11. Shodhganga, inflibinet.ac.in
- 12. Web Cell, Rabindranath Tagore University, Raisen.
- 13. Personal File.

Asst. Registrar (Confidential)

Rabindranath Tagore University, Raisen (M.P)





